छत्तीसगढ़ पाठयपुस्तक निगम, रायपुर

प्लॉट नं. बी/4, एम0आर0 कॉलोनी, छ0ग0 मा0शि0मं0
के पीछे, टैगोरनगर
रायपुर (छ0ग0)– 492 001

निविदा–पत्रक 2007–2008

कागज अनलोडिंग कार्य की निविदा–शर्ते

निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	–	08.01.2007
समय	–	दोपहर 02.00 बजे तक

प्रति,

मेसर्स...

....

....

....

निविदा खोलने की तिथि	–	08.01.2007
समय	–	अपरान्ह 03.00 बजे

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,
रायपुर

मूल्य – 100/– (एक सौ मात्र)

छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर

प्लॉट नं. बी/4, एम0आर0 कॉलोनी, छ0ग0 मा0शि0मं0 के पीछे, टैगोरनगर रायपुर (छ0ग0)– 492 001
फोन + 91 – 771 –2422151, टेलीफैक्स + 91 – 771 – 2421531

(निविदाकार द्वारा भरा जाना है)

प्रति,

प्रबंध संचालक,

छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,

रायपुर, छ0ग0 ।

विषय – कागज के ट्रकों की अनलोडिंग की दरें प्रस्तुत करने बाबत् ।

संदर्भ – निगम द्वारा कागज की अनलोडिंग के लिए जारी निविदा ।

मैं ....निगम द्वारा प्रकाशित ट्रकों की अनलोडिंग की जारी निविदा सूचना के साथ संलग्न निविदा की समस्त शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर समझ लिया है तथा शर्तों को स्वीकार करते हुए ट्रकों से कागज को अनलोडिंग एवं छल्ली लगाने हेतु नीचे दिये गये विवरण तथा उसके समक्ष दरों पर कार्य करने हेतु अपना आफर प्रस्तुत करता हूॅ ।

क्रमांक	विवरण	दर प्रति नग
1	कागज की रीलों हेतु प्रति रील	रू. (अक्षरों में..................................)
2	कागज के बण्डलों हेतु प्रति बण्डल	रू. (अक्षरों में..................................)

हस्ताक्षर एवं नाम निविदाकार
(फर्म की सील एवं पता)
दूरभाष संख्या &

निगम के गोंदवारा, रायपुर स्थित गोदाम में ट्रकों के माध्यम से प्राप्त होने वाले कागज की रीलों/रीमों की अनलोडिंग कर गोदाम में थप्पी/छल्ली लगाने हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. इस निगम को विभिन्न पेपर मिलों से ट्रकों द्वारा प्राप्त होने वाले कागज की रीलों/बण्डलों को ट्रक से सुरक्षित उतारकर गोदाम में छल्ली लगाना होगी । बण्डलों की थप्पी 20 की तथा रीलों की थप्पी 3–5 (तीन से पॉच) रीलों की उचाई तक लगाना होगी ।
2. ट्रकों की अनलोडिंग सामान्यतः प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से सायं 7 बजे तक हो सकेगी ।
3. ट्रक आने पर निविदाकार को दूरभाष पर सूचित किया जावेगा । सूचना मिलने पर दो घंटे में ट्रक खाली करना प्रारम्भ करना होगा । यदि उक्त अवधि में ट्रक खाली करना प्रारम्भ नहीं किया गया तो निगम द्वारा अन्य बाहरी मजदूरों से ट्रक खाली करा लिया जावेगा तथा उस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की राशि निविदाकार से वसूल की जावेगी ।
4. दर प्रति बण्डल एवं प्रति रील पृथक–पृथक दें । अन्य किसी व्यय के लिए निगम उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
5. दरें अनुबंध दिनॉक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध संचालक द्वारा यह अवधि बढ़ाई अथवा घटाई जा सकेगी ।
6. निविदा की दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0 पा0पु0नि0, रायपुर को रहेगा ।
7. निविदा के साथ रू. 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी (जमानत राशि) नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना अनिवार्य है । सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी प्रतिभूति के रूप में जमा रहेगी । जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । जिन निविदाकारों की निविदा स्वीकृत नहीं होती है उनकी अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जावेगी ।
8. किसी भी प्रकार के मतभेद होने की दशा में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा ।
9. कागज की अनलोडिंग के समय ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा गोदाम (भवन) को पहुंचाई गई क्षति (टूट–फूट) को तीन दिन में ठीक कराना होगा अन्यथा डिपो प्रबंधक द्वारा गोदाम की मरम्मत अपने स्तर पर करा ली जायेगी । ऐसी दशाा में मरम्मत व्यय की गई राशि की वसूली ठेकेदार के आगामी देयक से की जावेगी ।
10. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा ट्रक खाली करते समय तम्बाखू एवं पान की पीक एवं अन्य गंदगी करने की दशा में गोदाम की सफाई कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।
11. कागज की अनलोडिंग के समय ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि कागज को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षतिग्रस्त कागज के वास्तविक कीमत की ठेकेदार के देयक से तथा जमानत राशि में से काट ली जावेगी ।
12. कागज की अनलोडिंग/छल्ली लगाते समय यदि किसी श्रमिक को चोट लग जाती है अथवा क्षति पहुंचती है तो इसकी समस्त क्षतिपूर्ति मुआवजे की जिम्मेदार निविदाकार की होगी, निगम की नहीं ।
13. शर्तों के विपरीत कार्य किये जाने पर अनुबंध। निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा तथा ऐसी दशा में जमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी ।

अनुबंध–पत्र

यह अनुबंध–पत्र प्रबंध संचालक, छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, बी/4, एम.आर.कॉलोनी, टैगोर नगर, रायपुर (जिसे आगे चलकर प्रथम पक्षकार कहा गया है जिसमें उनके विधिक प्रतिनिधि अथवा निगम कार्यालयीन अधिकारी भी सम्मिलित हैं) तथा श्री...................................... (जिसे आगे चलकर द्वितीय पक्षकार/ठेकेदार कहा गया है एवं जिसमें उनके विधिक प्रतिनिधि दायद अथवा उत्तराधिकारी सम्मिलित है) के मध्य आज दिनॉक ....को निम्न साक्ष्यों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है ।

यह कि प्रथम पक्षकार छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम, छ0ग0 शासन का एक उपक्रम है जिसका मुख्य कार्य भिन्न–भिन्न मुद्रणालयों को छपाई कागज प्रदाय कर पुस्तकें एवं उक्त पर पुस्तक छपवाकर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को न लाभ न हानि पर प्रदाय करना है । भिन्न–भिन्न मिलों से प्राप्त कागज का परिवहन ट्रक द्वारा होता है जिसके कि प्रथम पक्षकार अपने ग्राम गोंदवारा, रायपुर जिला रायपुर में स्थित गोदाम में ट्रक से अनलोडिंग करवाकर निर्धारित स्थानों पर रखवाता है ।

यह कि उपरोक्त वर्णित कार्य बाबत प्रथम पक्षकार निगम द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की गई थी जिसमें कई निविदाकारों द्वारा निविदायें प्रस्तुत की गई थी परन्तु उक्त निविदाकारों में से द्वितीय पक्षकार श्री ....सफल निविदाकार के रूप में घोषित किये गये । यह कि द्वितीय पक्षकार ठेकेदार निगम के निविदानुसार गोदामों में ट्रक से कागज उतारकर रखने हेतु सहमत है । अतः उक्त बाबत् यह अनुबंध पत्र दोनों पक्षकारों के मध्य आज दिनॉक ....को निष्पादित किया जा रहा है ।

1. यह कि प्रथम पक्षकार निगम को विभिन्न मिलों से ट्रक द्वारा प्राप्त होने वाले कागज के रील/बंडलों को द्वितीय पक्षकार द्वारा ट्रक से सुरक्षित रूप से उतारकर उपरोक्त वर्णित गोदाम में छल्ली लगाना होगी, जिसमें बण्डलों की छल्ली की उंचाई 20 बंडलों तक तथा रीलों की छल्ली की उंचाई 3–5 रीलों तक की होगी ।

2. यह कि द्वितीय पक्षकार ट्रक से कागज की अनलोडिंग प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक करने हेतु सहमत हैं ।

3. यह कि ट्रक आने पर द्वितीय पक्षकार को इसकी सूचना दूरभाष द्वारा प्रदाय की जावेगी । यह कि सूचना प्राप्त होने के दो घण्टे के अन्दर, द्वितीय पक्षकार ठेकेदार को ट्रक खाली कराना अनिवार्य होगा । यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्ति से दो घण्टे के अन्दर ट्रक खाली करना प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो समयावधि समाप्त होने के तुरन्त पश्चात ही प्रथम पक्षकार निगम अन्य बाहरी मजदूरों से ट्रक खाली करवा लेगा तथा इस बाबत् जो भी राशि निगम द्वारा व्यय

की जायेगी उसे द्वितीय पक्षकार निविदाकार के बिल में से काट लिया जावेगा । इस बाबत् द्वितीय पक्षकार ठेकेदार सहमत हैं ।

4. यह है कि अनुबंध केवल एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा परन्तु द्वितीय पक्षकार द्वारा संतोषप्रद कार्य न होने की स्थिति में प्रथम पक्षकार निगम को यह अधिकार है कि वह इस अनुबंध को कभी भी निरस्त कर दें । यदि द्वितीय पक्षकार द्वारा संतोषप्रद कार्य किया जाता है तो प्रथम पक्षकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस अनुबंध अवधि बढ़ा सकता है ।

5. यह है कि द्वितीय पक्षकार द्वारा निविदा के साथ राशि रूपये दस हजार की जो (प्रतिभूति) प्रदाय की गई है उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6. यह कि कागज की अनलोडिंग के समय द्वितीय पक्ष ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा गोदाम भवन को कोई क्षति (टूट–फूट) को द्वितीय पक्षकार द्वारा 3 दिन में ठीक कराना होगा अन्यथा प्रथम पक्षकार के डिपो प्रबंधक द्वारा गोदाम की मरम्मत अपने स्तर पर करा ली जावेगी तथा मरम्मत में हुए व्यय को द्वितीय पक्षकार ठेकेदार के आगामी देयक में से काट लिया जावेगा । इस बाबत् द्वितीय पक्षकार सहम हैं ।

7. यह कि कागज की अनलोडिंग के समय ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा कागज को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षतिग्रस्त कागज की वास्तविक कीमत की वसूली प्रथम पक्षकार ठेकेदार के देयक तथा जमानत राशि में से काटकर ली जावेगी । इस बाबत् द्वितीय पक्षकार सहमत हैं ।

8. यह है कि कागज की अनलोडिंग/छल्ली लगाई के समय यदि किसी श्रमिक को चोट लगती है अथवा क्षति पहुंचती है तो इसकी समस्त मुआवजे की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार निविदाकार की होगी । क्योंकि उक्त श्रमिक द्वितीय पक्षकार के आदेशानुसार कार्य कर रहा है ।

9. यह है कि द्वितीय पक्षकार द्वारा शर्तों के विपरीत कार्य किये जाने पर प्रथम पक्षकार निगम को यह अधिकार है कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ले । इस बाबत् द्वितीय पक्षकार सहमत हैं ।

10. यह है कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार से निविदा में उल्लेखित अनलोडिंग दर राशि रूपये ....प्रति रील तथा राशि रूपये ....प्रति बंडल प्राप्त करेगा जिसका भुगतान कार्य किये गये कैलेण्डर माह के अन्त में डिपो प्रबंधक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (टूट–फूट) प्राप्त होने के पश्चात करेगा । यदि द्वितीय पक्षकार ठेकेदार द्वारा किसी अन्य मद में राशि का भुगतान किया जाता है तो उसका उत्तरदायी प्रथम पक्षकार निगम नहीं होगा और न ही निगम अनलोडिंग के अतिरिक्त किसी राशि का भुगतान करेगा ।

11. गोदाम के श्रमिकों द्वारा अनलोडिंग के समय की गई गंदगी की सफाई आदि कराने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा ।

12. यह कि दोनों पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के मतभेद होने की स्थिति में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अन्तिम तथा मान्य होगा । इस बाबत् द्वितीय पक्षकार पूर्णतया सहमत हैं ।

अतः इस अनुबंध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों पक्षकारों द्वारा होशो–हवाश में तथा अनुबंध को पूर्ण रूप से समझकर प्रत्येक पृष्ठ पर आज दिनॉक ....को निम्न साक्षियों की उपस्थिति में रायपुर में हस्ताक्षर कर निष्पादित किया जाता है जो वक्त जरूरत पर काम आवे । इति।

<u>द्वितीय पक्षकार</u>	<u>प्रथम पक्षकार</u>
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(श्री ....)	(प्रबंध संचालक)
फर्म –	छ0ग0 पाठ्यपुस्तक निगम,रायपुर
गवाह के हस्ताक्षर (नाम एवं पता सहित)	गवाह के हस्ताक्षर (नाम एवं पता सहित)
1.	1.
2.	2.
3.	3.